

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

॥ ज्ञापन ॥

28 JUN 2024

जावक क्रं. 6353

उज्जैन, दिनांक -

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण /
जिला न्यायालय, उज्जैन म.प्र.

विषय - आपराधिक मामलों में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके समन और वारंट बनाने और प्रसारित किये जाने हेतु किमिनल रीडर/कोर्ट मुंशी का प्रशिक्षण बाबत।

संदर्भ - माननीय उच्च न्यायालय का ई-मेल दिनांक 07.06.2024 के पालन में।

—0—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला स्थापना उज्जैन में आपराधिक मामलों (किमिनल केसेस) में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके समन और वारंट बनाने और प्रसारित करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाना है। उपरोक्त संदर्भ में समस्त न्यायालय, जिला न्यायालय उज्जैन के किमिनल रीडर तथा कोर्ट मुंशी का दिनांक 29.06.2024 को निम्नानुसार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाना है।

क्रमांक	न्यायालय	दिनांक	समय
01	जिला न्यायाधीश न्यायालय	29.06.2024	11.00 AM से 11.30 AM
02	जे.एम.एफ.सी. न्यायालय	29.06.2024	04.30 PM से 05.00 PM

अतः आपके अधीनस्थ किमिनल रीडर तथा कोर्ट मुंशी को दिनांक 29.06.2024 को कान्फ्रेंस हॉल, प्रथम तल, जिला न्यायालय उज्जैन में उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।


28/6/2024

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, जिला उज्जैन.